

Full Title of the Project:- Diversion of 0.01309 Ha. of Forest Land for access to factory belonging to Sh. Ayush Goel S/o. Sh. Ashok Goel on Assan Kalan- Mor Majra Road (ODR), Near Km. Stone No. 6, Village Khandra, Tehsil Madlauda, Distt. Panipat.

Proposal No. FP/HR/Approach/45200/2020
Date of Proposal:- 16-05-2020

CHECK LIST SERIAL NUMBER:-16
SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RENK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from factory for diversion (under FCA-1980) of 0.01309 ha. of forest land for non-forestry purpose. The projects envisage the use of developing of Factory on Assan Kalan- Mor Majra Road (ODR), Near Km. Stone No. 6, Village Khandra, Tehsil Madlauda, Distt. Panipat

1. The site inspection of the land involved in the proposal has been done on dated -06-09-2023
2. On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Protected forest measuring **0.01309** hectare to be utilized by user agency and there is three trees effected in the acceleration lane & deceleration lane way of this land.
3. The requirement of forest land as proposed by user agency in Col.2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project. The detail of forest area and effected is as under:-

S.No.	Detail of Forest area effected	Total Area in Sq. Mtr.	No of Trees & Sapling Effected
1.	A=Entry = 12.00x10.66 =127.92 Sq. Mtr.	127.92	Nil.
2.	B= Curve 2(1/2 x 3 x 1.5-4/3x1.68x0.34)= 2.98 Sq. Mtr	2.98	
Total A+B		130.90 Sq. Mtr.	
Total Area in Hectare		0.01309 Hectare	

4. Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If so details thereof.
-No-
5. Whether any protected archaeological/heritage site/ defense establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, If required. -No-
- 6.(a) The user agency has not violated the provision of Forest (Conservation)Act,1980 and no work has been started without proper sanction . (X)
- (b) **It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation)Act.1980 provision. A detailed report as per para 1.9 of Chapter 1, Part C of Handbook of Forest (Conservation) Act.1980 is attached. (✓)**

(Note: Whichever of the above is applicable should be shown in bold Letters)

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal:- The Proposal is recommended as per Site Inspection report and Check List No-26(b) & as per direction issued by Ministry of Environment & Forests (FC Division) letter No. FN-11-29/2004-FC Dated 15-07-2004 for necessary action.

Place:- Panipat
Date:- 19-09-2023

Signature of Conservator of Forests
Name:- Dr. P. K. Saxena, IFS
Dy. Conservator of Forests,
Panipat.

Full Title of the Project:-Diversion of 0.01309 Ha. of Forest Land for access to factory belonging to Sh. Ayush Goel S/o. Sh. Ashok Goel on Assan Kalan- Mor Majra Road (ODR), Near Km. Stone No. 6, Village Khandra, Tehsil Madlauda, Distt. Panipat.

Proposal No.FP/HR/Approach/45200/2020
Date of Proposal:-16-05-2020



Place:-Panipat
Date:- 19-09-2023

Deputy Conservator of Forests,
PANIPAT
Panipat.

ANNEXURE-I

विस्तृत रिपोर्ट (पैरा न0-1.9 चैपटर-1) वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना बारे

Sub:- Diversion of 0.01309 Ha. of Forest Land for access to factory belonging to Sh. Ayush Goel S/o. Sh. Ashok Goel on Assan Kalan- Mor Majra Road (ODR), Near Km. Stone No. 6, Village Khandra, Tehsil Madlauda, Distt. Panipat.
Proposal No.FP/HR/Approach/45200/2020 Date of Proposal:-16-05-2020

.....

विषयांकित केस ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने उपरान्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1225 दिनांक 30.12.2022 को वन संरक्षण अधिनियम,निति/नार्मज अनुसार तैयार करके मुख्य वन संरक्षक मध्य परिमण्डल रोहतक को ऑनलाईन के माध्यम से कुल 0.01309 है0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु अगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था। उस समय प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मौका पर किसी प्रकार का कोई कार्य/ वायलेशन नहीं किया गया था। उक्त प्रस्ताव में उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, चण्डीगढ ने अपनी फाईल क्रमांक 9-HRB028/2021-CHA. Dated 09-03-2021 द्वारा निम्न जानकारी भेजने बारे लिखा गया था। जिसके सन्दर्भ में इस कार्यालय द्वारा वन राजिक अधिकारी को मौका निरीक्षण पूनः करने बारे इस कार्यालय से पत्राचार किया गया। जिसमें प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मौके पर प्रस्तावित ले-आउट प्लान अनुसार दूसरी जगह पर मिट्टी डालकर आने जाने का रास्ता प्रयोग में लाया जा रहा था। इस सम्बन्ध में फीलड कर्मचारियों द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए वन अपराध रिपोर्ट नं0 012/0349 दिनांक 30.03.2022 जिसमें कुल एरिया $7m \times 8m = 56M^3$ जारी की गई। प्रयोक्ता एजेंसी को भारतीय वन अधिनियम 1927 की उल्लंघना के लिए नोटिस जारी किया गया। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं करने उपरान्त उक्त वन अपराध रिपोर्ट अनुसार माननीय पर्यावरण न्यायालय, कुरुक्षेत्र में केस क्रमांक 23/2023 दायर किया गया था, जोकि अभी विचाराधीन है।

प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान में फैक्ट्री के आने-जाने हेतु रास्ते के लिए रिवाईज्ड केस, ले-आउट प्लान तथा PWD NOC, Approved Plan मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं। रिवाईज्ड दस्तावेजों अनुसार मौके का निरीक्षण किया गया, जिसमें मौके पर कोई भी वृक्ष बाधक नहीं है तथा फैक्ट्री में आने जाने हेतु मिट्टी डालकर रास्ते का प्रयोग किया जा रहा है। पूर्व में प्रस्तावित केस अनुसार वन विभाग की कुल 0.1309 है0 वन भूमि तथा 15 वृक्ष जिनका घनत्व $10.24 M^3$ बाधक होते थे, परन्तु रिवाईज्ड प्लान अनुसार वन विभाग की कुल वन भूमि 0.1309 है0 तथा कोई वृक्ष बाधक नहीं होता।

अतः उक्त केस में अब मौका पर वन भूमि नजायाज रूप से इस्तेमाल करने के विरुद्ध पैन्लटी लगाते हुए केस की स्वीकृति जारी की जाये। विषयांकित केस में वायलेशन के लिए वन विभाग का कोई कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेवार नहीं है।

Deputy Conservator of Forests
PANIPAT

Sh. Anant Ram is needed within time

RFO Panipat

वन अपराध रिपोर्ट

वन विभाग, हरियाणा सरकार

0349

FOR No. 012

FOR Book No.

वन मण्डल	पानीपत				
रेंज/ब्लॉक/बीट	पानीपत ब्लॉक सुबहटाड़ा उत्तरान बीट				
रीच/जगह का नाम	पानीपत अंतराल रोड के मोड़ मजरा 15 Km. 517-1 (L.S. 15)				
FOR No. (Date, Day & Time)	30/3/2022 5/4 PM 4:00				
रिपोर्ट जारी करने वाले का नाम	श्री सुनील वन रक्षक				
अपराध की जानकारी का स्रोत	स्वयं द्वारा गस्त/मुखवीर द्वारा/शिकायत				
अपराध होने के तारीख/दिन/समय	श्री अनन्तराम वन रक्षक				
जांच अधिकारी का नाम व पद	नहीं/यदि हां तो पृष्ठ संख्या				
अपराध/घटना का विवरण संलग्न	संलग्न				
उल्लंघन किया गया अधिनियम	33 C				
भारतीय वन अधिनियम 1927					
वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972					
पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900					
भारतीय वन संहिता					
अपराधी का विवरण	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता
	Rajesh Grover	Rajesh Grover			517-1 Model
	517-1 model				Town Panipat
	Town Panipat				
जब्त किये गये सामान का विवरण	प्रजाति	किस्म/साइज	संख्या	मुल्य	मुआवजा राशि
जब्त वन उपज का विवरण					
जब्त व्हीकल का विवरण	प्रकार	रजिस्ट्रेशन नं०	रंग	मॉडल	उत्पादन वर्ष
औजार/हथियार					
अन्य, यदि कोई हो					
संलग्न नक्शा	नजरी-नक्शा जी०पी०एस० रीडिंग सहित	संलग्न किया है/तैयार नहीं किया गया	यदि हां तो पृष्ठ संख्या	Deputy Conservator of Forest PANIPAT	
संलग्न फोटोग्राफ	संलग्न किया है/तैयार नहीं किया गया				
संलग्न लिडिंगोग्राफ	संलग्न किया है/तैयार नहीं किया गया				

R.O.A.C.

मुखवीर/शिकायतकर्ता/गवाह के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

आरोपी का हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

वीट इन्चार्ज

व० रा० अ०

नाम

रैंक

दिनांक

Deputy Conservator of Forest PANIPAT